न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 34/2017 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

बाबूलाल पुत्र सुम्मेरा जाति जाटव निवासी सोगरिया मौहल्ला मथुरा दरवाजा भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. पदम सिंह पुत्र नारायन जाति जाटव निवासी सोगरिया मौहल्ला मथुरा दरवाजा भरतपुर।
2. पूरन सिंह
3. प्रेम सिंह } पुत्रान सुम्मेरा } जातिगण जाटव निवासी सोगरिया मौहल्ला मथुरा दरवाजा भरतपुर।
4. सुन्दर सिंह
5. श्रीमती रेशम पत्नी सुम्मेरा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दिनांक 16.12.13 मि.नं. 146/08 उनवानी पदम सिंह बनाम पूरन सिंह।

उपस्थितिः–

1. श्री प्रमोद कुमार उपमन वकील अपीलांट।
2. श्री उदयवीर सिंह वकील रैस्पो0।

निर्णय दिनांक–22.11.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.12.2013 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 संख्या 01/वादी द्वारा एक वाद पत्र विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादी व रैस्पो संख्या 02 लगायत 6 इस आशय का पेश किया कि हाला आराजी खसरा नम्बर 2873, 2874, 2875, 2876 कुल किता 4 रकवा 1.15 है0 वाके कस्बा भरतपुर चक नम्बर 03 संयुक्त परिवार की आराजी है, जो पूर्वजो से विरासत में प्राप्त हुई है। रैस्पो0 संख्या 01/वादी के पिता नारायन का इन्तकाल हो चुका है। विवादित आराजी पर 1/2 हिस्सा पर रैस्पो0 संख्या 01/वादी व 1/2 हिस्सा पर प्रतिवादीगण काश्त कर रहे हैं। रेशम का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 04 के हक में त्याग हो चुका है। रैस्पो0संख्या 01/वादी एवं प्रतिवादीगण की शामिल काश्त में अब नही बनती है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में निष्फ हिस्से का रैस्पो0 संख्या 01/वादी को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खातेदार दर्ज कर विभाजन कराकर, कब्जा दिलाया जावें व प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई दिनांक 23.02.2012 को प्राथमिक डिक्री करते हुए, विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाकर, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2013 को अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश, अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कायदे कानून व रूयेदाद मिसिल होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि तहसीलदार व हल्का पटवारी द्वारा जो कुर्रा भिजवाये गये हैं उसमें विभाजन के किसी भी नियम की पालना नहीं हुई है तथा समस्त अच्छी व सडक के सहारे की आराजी को रैस्पो0 संख्या 01/वादी को दिया गया है तथा बेकार जमीन को अपीलाण्ट को दिया गया है। जबकि विभाजन समान रूप से किया जाना था लेकिन फिर भी कुर्रा रिपोर्ट पर विश्वास कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी भूल की है। नगर सुधार न्यास के नाम खसरा नम्बर 2876 रकवा 0.10 है0 दिया गया है। लेकिन उक्त समस्त आराजी केवल अपीलाण्ट के हिस्से से ही ली गई है। जबकि कानूनन 5–5 एयर आराजी रैस्पो0 व अपीलाण्ट की मिलाकर दी जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि कुर्रा रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये गये हैं। जबकि विभाजन के लिये तहसीलदार स्वयं को मौका निरीक्षण करना तथा प्रस्ताव तैयार करना आवश्यक है। इसके अलावा विभाजन प्रस्तावा पर ओवर राईटिंग हो रही है। मियाद के बिन्दू पर उनका तर्क है कि अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी। लेकिन दिनांक 03.10.2016 को रैस्पो0 द्वारा सडक के सहारे अच्छी भूमि पर निर्माण का प्रयास किया तो अपीलाण्ट ने तहत अदालत में आकर पत्रावली का अवलोकन किया तब जाकर अपीलांट को उक्त फर्जकारी की जानकारी हुई। अतः जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में आर0आर0टी0 2017(1) पेज 689 का हवाला देते हुए अपील स्वीकार करते हुए, प्रकरण पुनः कुर्रा प्रस्ताव तलब करते हुए, विधि अनुरूप निस्तारण करने हेतु रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जबाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप सही है। कुर्रा प्रस्ताव अपीलाण्ट की सहमति के अनुसार ही तैयार किये गये हैं एंव उक्त कुर्रा रिपोर्ट पर तहसीलदार के हस्ताक्षर मौजूद हैं। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कुर्रो बाबत् कोई आपत्ति पेश नहीं की गयी है। अतः अपील मैन्टेबिल नहीं है। अपीलाधीन आदेश के मुताबिक दिनांक 20.09.2014 को इजराय की पालना हो चुकी है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की गयी है। अतः मियाद के बिन्दू पर ही अपील खारिज योग्य है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0आर0डी0 2008 पेज 644, 2009 पेज 150, आर0आर0टी0 2009(1) पेज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

488, 2008(2) पेज 1095, 2014(1) पेज 154, 2014(1) पेज 397, 2017(1) पेज 105, 2016(2) पेज 1013, 2015(2) पेज 1238 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलांट का प्रस्तुत अपील में प्रमुखता से यह कथन रहा है कि कुर्रे प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये गये हैं एवं सडक किनारे की अच्छी भूमि रैस्पो0 को दी गई है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका पर्चा कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 10.03.2013 के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं। उक्त विभाजन प्रस्तावों पर तहसीलदार के हस्ताक्षर मौजूद नहीं है, जबकि नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार को ही बनाने थे। इसके अतिरिक्त मुताबिक नजरी नक्शा, खसरा नम्बर 2875 जो सडक किनारे की अच्छी व कीमती भूमि है, में रैस्पो0 संख्या 01, पदम सिंह को 18 एयर जबकि अपीलाण्ट को 05 एयर दिया गया है। इतना ही नहीं पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2068–71 में नामान्तकरण संख्या 1369 दिनांक 31.12.2012 के द्वारा खसरा नम्बर 2876 रकवा 10 एयर पर नगर सुधार न्यास भरतपुर स्वीकार हुआ अंकित है। परन्तु उक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बर को कुर्रा नम्बर 02 में अपीलाण्ट को दे दिया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है। विभाजन के प्रकरणों में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना की जानी चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त नियमों की पालना दृष्टिगोचर नहीं होती है। ऐसी स्थिति में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.12.2013 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार से विवादित आराजी बाबत् पुनः अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी के विभाजन प्रस्ताव तलब करते हुए, राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित कराते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। साथ ही उभयपक्षकारान् को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.12.2017 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 22.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official